भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5534

अतारााकत प्रश्न स. 5534 26.07.2019 को उत्तर के लिए

विषैली कोयला राख से प्रदूषण

5534. श्री रीतेश पाण्डेयः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में टांडा तहसील के शरीफपुर कलवाड़ा में कोयले की विषैली राख वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है;
- (ख) क्या उक्त समस्या का कारण टांडा में एनटीपीसी ऐश डैम से होने वाला उत्सर्जन है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या मंत्रालय ने उक्त एनटीपीसी ऐश डैम का कोई पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या मंत्रालय ने बांध के निर्माण की अनुमित प्रदान करने और गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए कोई निदेश जारी किया है; और
- (ङ) यदि हां, तो उक्त निदेशों / उपायों के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) : गांव-बहादुरगढ़, तालुक-टांडा, अंबेडकरनगर, उत्तर प्रदेश के निकट स्थित 4×100 मेगावाट (चरण-I) क्षमता वाला एनटीपीसी टांडा विद्युत संयंत्र वर्ष 1988 से प्रचालन में है। इस विद्युत संयंत्र से प्रतिवर्ष 5.5 लाख मीट्रिक टन राख का सृजन होता है। संयंत्र से सृजित अप्रयुक्त राख का निपटान, विद्युत संयंत्र से 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित लगभग 350 एकड़ के क्षेत्रफल में विस्तृत राख-कुंड मे किया जाता है। अब तक, लगभग 77% राख-कुंड भर गया है। इसके अलावा, चरण-II: 2×660 मेगावाट विद्युत परियोजना की जरूरत को पूरा करने हेतु मौजूदा राख-कुंड के निकट 300 एकड़ क्षेत्रफल में दूसरा राख-कुंड निर्मित करने की योजना है। शरीफपुर कलवाड़ा गांव मौजूदा राख-कुंड से 1 कि.मी. के अंदर स्थित है और दूसरे राख-कुंड के निकट है जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है। इस मंत्रालय को राख के निपटान के कारण वायु प्रदूषण फैलने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

इसे अलावा, मैसर्स एनटीपीसी लि. द्वारा राख-कुंड से सृजित वायुजनित धूल को वायुमंडल में फैलने से रोकने हेतु वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए निर्धारित जल छिड़काव मशीनों की संस्थापना, राख को नम करके उसका निपटान, राख-कुंड के अंदर घास रोपण और राख-कुंड के चारों ओर हरित क्षेत्र का विकास जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।

- (ग) : चरण-II: 2×660 मेगावाट टांडा विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने हेतु मूल्यांकन के दौरान पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन कराए गए हैं।
- (घ) और (ड.) : मैसर्स एनटीपीसी लि. द्वारा प्रस्तुत पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के आधार पर, दिनांक 13.4.2011 को चरण-II विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है। पर्यावरणीय मंजूरी के भाग के रूप मे लगभग 540 एकड़ क्षेत्रफल में राख-कुंड के तथा अन्य सुविधाओं के सृजन की अनुमित प्रदान की गई है तथा पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए यथेष्ट उपाय निर्धारित किए गए हैं।
